



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 2.VPP-35/15/09/BUDGET

दिनांक - 09-Jun-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 220300003A7010321 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 003 - प्रशिक्षण A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग 01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग. 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288) Central Scheme : NA	33312	KDMEDNA67 GANESH PRASAD PRINCIPAL GOVT.POLYT. 21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	105,000.00 रुपये एक लाख पाँच हजार
2	S 43 220300003A7010321 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 003 - प्रशिक्षण A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग 01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग. 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288) Central Scheme : NA	33314	SKLEDN139 SRIKANT PRASAD I/C PRICIPAL GOV PO ADITYAPUR 21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	105,000.00 रुपये एक लाख पाँच हजार
3	S 43 220300003A7010321 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 003 - प्रशिक्षण A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग 01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग. 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288) Central Scheme : NA	33316	DMKEDN303 KAMESHWAR SINGH PRINCIPAL G.W.P.DUMKA 21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	105,000.00 रुपये एक लाख पाँच हजार

योग: रुपये तीन लाख पंद्रह हजार
क्रमिक योग:

315,000.00

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR, TECHNICAL EDUCATION

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं०- वि०प्रा०/योजना -35/15

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

गरिमा सिंह, भा०प्रा०से०,
निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा/आदित्यपुर,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका,
झारखण्ड।

विषय:-

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित्त कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 3,15,000/- (रु० तीन लाख पन्द्रह हजार) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-274 दिनांक-31.03.2023 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 13/योजना दिनांक 05.06.2023 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में सेमिनार/समारोह/कार्यशाला आदि के निमित्त विश्व पर्यावरण दिवस 2023 एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न संस्थानों को निम्न तालिका के अनुसार कुल 3,15,000/- (रु० तीन लाख पन्द्रह हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	पोलिटेकनिक का नाम	विपत्र कोड़
		सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 43S220300003A7010321
1	राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा	1,05,000.00
2	राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर	1,05,000.00
3	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका	1,05,000.00
कुल		3,15,000.00

- उक्त व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय के सेमिनार/समारोह/कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।
- उपर्युक्त राशि का आवंटन विभिन्न राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस 2023 एवं अन्य कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कोडरमा/दुमका/सरायकेला से की जायेगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड 1288 है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश ज्ञापांक-245/वि० दिनांक-30.03.2022 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का आदेश प्राप्त है।
12. व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

ज्ञापांक- वि०प्रा०/योजना -35/15 - ०९/बजर

/रॉची, दिनांक- ०९/०६/२०२३

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कोडरमा/दुमका/सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गरिमा सिंह)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

खांड

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं०- वि०प्रा०/योजना -35/15 - ०९/बजट

/राँची, दिनांक- ०९/०६/2023

प्रेषक,

गरिमा सिंह, भा०प्र०से०,
निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा/आदित्यपुर,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका,
झारखण्ड।

विषय:-

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित्त कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 3,15,000/- (रु० तीन लाख पन्द्रह हजार) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-274 दिनांक-31.03.2023 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 13/योजना दिनांक 05.06.2023 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में सेमिनार/समारोह/कार्यशाला आदि के निमित्त विश्व पर्यावरण दिवस 2023 एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न संस्थानों को निम्न तालिका के अनुसार कुल 3,15,000/- (रु० तीन लाख पन्द्रह हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	पोलिटेकनिक का नाम	विपत्र कोड
		सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 43S220300003A7010321
1	राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा	1,05,000.00
2	राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर	1,05,000.00
3	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका	1,05,000.00
कुल		3,15,000.00

- उक्त व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय के सेमिनार/समारोह/कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।
- उपर्युक्त राशि का आवंटन विभिन्न राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस 2023 एवं अन्य कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कोडरमा/दुमका/सरायकेला से की जायेगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड 1288 है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश ज्ञापक-245/वि० दिनांक-30.03.2022 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का आदेश प्राप्त है।
12. व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा।
